

# कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक, रिज मार्ग, जबलपुर-482001

## महत्वपूर्ण परिपत्र

सं. प्रशा/II/1215/पुनरीक्षा/IV

दिनांक: 04/09/2017

प्रति,

प्रभारी अधिकारी

मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग तथा सभी उप-कार्यालय

विषय: 09/2017 को समाप्त तिमाही के लिए ग्रुप "ख" राजपत्रित (केवल व.ले.अ.ले.अ.हि.अ.व.व्य.स.स.ले.अ.निजी सचिव), ग्रुप "ख" अराजपत्रित "ग" और "घ" के कर्मचारियों के संबंध में एफ.आर.- 56(जे) के अंतर्गत मामलों की समीक्षा।

\*\*\*\*\*

कृपया 09/2017 को समाप्त तिमाही के लिए अपने कार्यालय/अनुभाग में कार्यरत ग्रुप "ख" राजपत्रित (केवल व.ले.अ.ले.अ.हि.अ.व.व्य.स.स.ले.अ.निजी सचिव), ग्रुप "ख" अराजपत्रित "ग" और एम.टी.एस. के कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त विषयक रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी के सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर अधिकतम **20.09.2017** तक भेज दें। रिपोर्ट भेजते समय कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और विषय रिपोर्ट/सेवा संबंधी ब्यौरा शामिल किए जाएं जो नीचे दिये गए विवरणों के अनुसार विचरण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रभारी अधिकारी रिपोर्ट में शामिल किए गए मामलों की स्वयं समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अर्हक नाम छूटने न पाये और उस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।

ग्रुप	जन्मतिथि	नियुक्ति की तिथि	अभियुक्तियाँ
"ख" राजपत्रित (केवल व.ले.अ.ले.अ.हि.अ.व.व्य.स.स.ले.अ.निजी सचिव)	01.01.1968 से 31.03.1968 के बीच (दोनों तिथियाँ शामिल हैं)	01.01.1988 से 31.03.1988 के बीच (दोनों तिथियाँ शामिल हैं)	50 वर्ष की आयु या 30 वर्षों की सेवा, जो पहले हो
ग्रुप "ख" अराजपत्रित "ग" और एम.टी.एस.	01.01.1963 से 31.03.1963 के बीच (दोनों तिथियाँ शामिल हैं)	01.01.1988 से 31.03.1988 के बीच (दोनों तिथियाँ शामिल हैं)	55 वर्ष की आयु या 30 वर्षों की सेवा, जो पहले हो

2. स.ले.अ.(दु.अभि.)/स.ले.अ.(भ.भं.)/यू.ले. विशेष रिपोर्ट संबंधित स्था. ले.परी. अधिकारी/क्षेत्रीय ले.परी.अधि. (एम.ई.एस.) को भेजेंगे और साथ उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे। विशेष रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को प्रेषित किए जाने से पहले स्था. ले.परी. अधिकारी/क्षेत्रीय ले.परी.अधि. (एम.ई.एस.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

3. रिपोर्ट FAX द्वारा भेजी जाए। स.ले.अ. दु.अभि./स.ले.अ. भ.भं./यू.ले. कृपया "शून्य" रिपोर्ट सीधे इस कार्यालय को भेज दें और उसकी सूचना संबंधित स्था. ले.परी. अधिकारी/क्षेत्रीय ले.परी.अधि. (एम.ई.एस.) को भी दें।

4. रिपोर्ट भेजने में यदि देरी की जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

सर्वर कक्ष : रक्षा लेखा नियंत्रक, जबलपुर की website पर upload करने के लिए।

-हस्ताक्षरित/-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)